दिनांक 05.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 06/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मेटा कम्पनी के सहयोग से विगत 01 सप्ताह मे सोशल मीडिया पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट करने वाले 10 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की गयी।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट की जानकारी मेटा कम्पनी के सहयोग प्राप्त कर, ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए विगत 01 सप्ताह में कुल 14 प्रकरणों में प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़ित एवं उसके परिजन से वार्ता कर 10 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की गयी।

इस व्यवस्था के तहत फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने से सम्बन्धित पोस्ट किया जाता है, तो मेटा कम्पनी के मुख्यालय द्वारा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर को तत्काल फोन एवं ई–मेल के माध्यम से अलर्ट प्रेषित किया जाता है।

मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेन्टर में मेटा कम्पनी से प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही हेतु अलग से डेस्क 24X7 कार्यरत है। उक्त डेस्क से एसटीएफ के सर्वर का इन्टीग्रेशन किया गया है जिसकी मदद से ऐसी पोस्ट करने वाले की तत्काल लोकेशन ज्ञात कर यूपी–112 के साथ–साथ सम्बन्धित जनपद को भी त्वरित कार्यवाही हेतु प्रकरण अग्रसारित किया जाता है। मुख्यालय द्वारा पीड़ित के मोबाइल की उपलब्ध करायी गयी लोकेशन पर यूपी–112 की पीआरवी/स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंच कर पीड़ित एवं उसके परिजनों से सम्पर्क किया जाता है।

विगत 01 सप्ताह में मेटा कंपनी से 14 अलर्ट प्राप्त हुए, जिनमें से 10 लोगों के प्राणों की रक्षा की गयी है। शेष अलर्ट में मेटा द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के आधार पर लोकेशन ज्ञात नहीं हो पाने, प्रकरण अन्य राज्य का होने के साथ–साथ कई ऐसे प्रकरण भी रहे जिनमे प्राप्त लोकेशन अस्पष्ट/घनी बस्ती मे होने व फोन स्विच ऑफ होने के कारण स्थानीय पुलिस, पीड़ित तक नहीं पहुँच पायी ।

विगत 01 सप्ताह में प्राप्त आत्महत्या सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रकरण

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य हुए तकनीकी सहयोग की सहायता से विगत 01 सप्ताह में 10 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की जा चुकी है, विगत 01 सप्ताह में प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों का विवरण निम्नवत है–

1–दिनांक 30.08.2024 को जनपद कानपुर देहात निवासी 19 वर्षीय बी0एस0सी की छात्रा द्वारा इन्स्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की गयी जिसमें छात्रा द्वारा आत्महत्या किये जाने की बात कही जा रही थी। उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वाले व्यक्ति की लोकेशन की जानकारी कर जनपद कानपुर देहात को सम्बन्धित छात्रा की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर जनपद कानपुर देहात की स्थानीय पुलिस द्वारा छात्रा को सकुशल बरामद किया गया एवं प्रभारी निरीक्षक तथा महिला आरक्षी द्वारा छात्रा की काउंसलिंग करते हुए उससे वार्ता की गई, छात्रा द्वारा बताया गया कि उसकी अपने दोस्त के साथ कहासुनी हो गयी थी जिस कारण से उसने आत्महत्या किये जाने की पोस्ट इन्स्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था। स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त छात्रा द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

2–दिनांक 31.08.2024 को जनपद कुशीनगर निवासी 23 वर्षीय युवक जो बंगलौर में रहकर काम कर रहा था तथा उ0प्र0 पुलिस की परीक्षा देने कुशीनगर आया था, उसके द्वारा इन्स्टाग्राम पर आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट की गयी । उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वाले व्यक्ति की लोकेशन की जानकारी कर जनपद कुशीनगर को सम्बन्धित युवक की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर जनपद कुशीनगर की स्थानीय पुलिस के थानाध्यक्ष द्वारा युवक से सम्पर्क कर उसकी काउंसलिंग करते हुए उससे वार्ता की गयी, युवक द्वारा बताया गया कि मेरी गर्लफ्रेन्ड से लड़ाई होने एवं

उसका किसी अन्य से विवाह तय होने के कारण मेरी मानसिक स्थिति असहज हो गयी थी, जिससे क्षुब्ध होकर मेरे द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट की गयी थी। थानाध्यक्ष द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त युवक द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

3—दिनांक 31.08.2024 को कमिश्नरेट लखनऊ निवासी 21 वर्षीय बी0ए0 की छात्रा द्वारा इन्स्टाग्राम पर गले में दुपट्टा लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या किये जाने सम्बन्धी वीडियो अपलोड की गयी । उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वाले छात्रा के लोकेशन की जानकारी कर कमिश्नरेट लखनऊ को सम्बन्धित छात्रा की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर कमिश्नरेट लखनऊ की पुलिस द्वारा 15 मिनट के अन्दर लोकेशन पर पहुँचकर छात्रा को सकुशल बरामद किया गया तथा थानाध्यक्ष एवं महिला उ0नि0 द्वारा पीड़िता की काउंसलिंग करते हुए उससे वार्ता की गयी । काउंसलिंग के दौरान छात्रा द्वारा बताया गया कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने अपने मित्र से 13.05.2024 को आर्य समाज में शादी करके पीजीआई लखनऊ के पास किराये के मकान में रह रही थी । अपने पति की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इन्स्टाग्राम पर अपलोड कर दी थी। स्थानीय पुलिस द्वारा काउंसलिंग कर समझाया गया तथा उसके पति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके आरोपी पति को जेल भेजा गया। स्थानीय पुलिस की काउंसलिंग एवं कार्यवाही से संतुष्ट होकर पीड़िता द्वारा भविष्य में इस प्रकार की कोई पोस्ट नहीं करने अथवा आत्महत्या नही करने का आश्वासन दिया गया।

4—दिनांक 03.09.2024 को कमिश्नरेट कानपुर नगर निवासी 28 वर्षीय पूजा, हवन व अन्य धार्मिक कार्य करने वाले आचार्य एवं पान मसाला की गुमटी चलाने वाले युवक द्वारा इन्स्टाग्राम पर सल्फास की शीशी की फोटो डालकर लिखा गया था— **"बाय बाय दोस्तो सभी से विदा चाहता हूँ आज इसको लेना है निगलना है क्यो कि माँ के पास जाना है मुझे आज"** । उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान

लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वाले युवक के लोकेशन की जानकारी कर कमिश्नरेट कानपुर नगर को सम्बन्धित युवक की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर कमिश्नरेट कानपुरनगर की स्थानीय पुलिस के उ0नि0 द्वारा युवक से सम्पर्क कर उसकी काउंसलिंग करते हुए उससे वार्ता की गयी । काउंसलिंग के दौरान युवक द्वारा बताया गया कि काफी बारिश होने के कारण पान मसाला की गुमटी के पास पानी भर जाने से गुमटी नही खुल पा रही थी इस बात को लेकर परिवार में वाद विवाद होने के कारण क्षुब्ध होकर मेरे द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट कर दी गयी थी। स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त युवक द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

5–दिनांक 04.09.2024 को कमिश्नरेट कानपुरनगर निवासी 23 वर्षीय ग्रेजुएट युवती द्वारा इंस्टाग्राम पर जहर की शीशी की फोटो डालकर लिखा गया था कि **"अपनी जिन्दगी आज खत्म करने जा रही हूँ प्लीज आप लोग हमे माफ कर दीजिएगा"**। उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वाली युवती की लोकेशन की जानकारी कर कमिश्नरेट कानपुरनगर को सम्बन्धित युवती की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर कमिश्नरेट कानपुरनगर की स्थानीय पुलिस के प्रभारी निरीक्षक एवं महिला आरक्षी द्वारा पीड़िता से सम्पर्क कर उसकी काउंसलिंग करते हुए उससे वार्ता की गयी । काउंसलिंग के दौरान युवती द्वारा बताया गया कि उसकी लम्बाई कम है जिस कारण उसे यह लगता है कि वह किसी कम्पटीशन में सफल नही हो सकती है, और उसकी शादी भी नही हो पायेगी। इसी नकारामत्मक विचार के चलते उसके द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट कर दी गयी थी। स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत युवती द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मडियांव

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.09.2024 को थाना मडियांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौबस्ता मोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अखिल कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोमतीनगर लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 757/2021 व अन्य अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मडियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अखिल कुमार निवासी ग्राम पिंगरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, हालपता शगुन अपार्टमेन्ट थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 60 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 05.09.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डबनी कब्रिस्तान के पास से 02 अभियुक्तों 1–मोबीन 2–नफीस उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 60 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.09.2024 को थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त मोबीन शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोबीन निवासी गली नं0—25 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

2—नफीस उर्फ मोनू निवासी गली नं0—5 एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 60 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना भेलूपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 54 हजार 90 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 05.09.2024 को थाना भेलूपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बडी पटिया के पास से 04 अभियुक्तों 1—अंकित उर्फ कोमल उर्फ ओमकार 2—गोपाल 3—हितेष कुमार 4—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 54 हजार 90 रूपये नगद, चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना भेलूपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अंकित कुमार के विरूद्ध थाना लंका में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 03 अभियोग, अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित उर्फ कोमल उर्फ ओमकार निवासी सेमरा, मुगल सरांय जनपद चन्दौली।

2–गोपाल निवासी ककरमत्ता डीएलडब्ल्यू थाना मडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

3–हितेष कुमार निवासी घण्टा घर पक्की सडक थाना कोतवाली सदर जनपद मिर्जापुर।

4–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के 54 हजार 90 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 11 हजार 400 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **04 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 04.09.2024 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–कृष्णचन्द्र 2–नन्दलाल 3–रमन को गिरफ्तार

कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 11 हजार 400 रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 04 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.08.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–कृष्णचन्द्र निवासी नरहरिया स्टेट थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

2–नन्दलाल निवासी जसईपुर थाना नगर जनपद बस्ती।

3–रमन निवासी मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 11 हजार 400 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–04 मोबाइल फोन आदि।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सलेमपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 05.09.2024 को थाना सलेमपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिट्टा गेट के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर

दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बबलू उर्फ बलवीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। दो अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सलेमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–बबलू उर्फ बलवीर निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना करारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बब्लू को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना को0आलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना को0आलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा

376/363/366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शिवसागर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना को0नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना को0नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भानू को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।